

प्रेषक,

प्रवीर कुमार  
प्रमुख सचिव,  
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

समस्त नगर आयुक्त  
नगर निगम,  
उ.प्र.।

नगर विकास अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक : 09 जनवरी, 2013

विषय: शासन के आदेशों/दिशा-निर्देशों से अवगत कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि समय-समय पर नागर निकायों से संबंधित शासन द्वारा निर्गत आदेशों/दिशा-निर्देशों को नागर निकायों के सदन या बोर्ड में नहीं प्रस्तुत किया जाता है और न उनके बारे में नागर निकाय के निर्वाचित/मनोनीत सदस्यों को जानकारी ही दी जाती है जिसके कारण उक्त आदेशों/निर्देशों का अनुपालन व अनुश्रवण सम्यक ढंग से नहीं हो पाता। यह स्थिति उचित नहीं है।

2. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागर निकाय के कार्यकारिणी/सामान्य बैठक के समय नई सरकार के गठन के बाद शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों/दिशा-निर्देशों को नागर निकायों के सदन व बोर्ड में अवश्य प्रस्तुत किया जाये तथा उन्हें निकाय के निर्वाचित/मनोनीत सदस्यों को समय-समय पर अवगत कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, साथ ही सभी निर्वाचित/मनोनीत सदस्यों को यह भी अवगत कराया जाये कि समस्त शासनादेश विभाग की वेब-साइट पर उपलब्ध है, जिससे सभी सदस्य विभाग की वेब-साइट पर नवीनतम् शासनादेशों की जानकारी प्राप्त कर सकें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)  
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र. लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि शासन के उक्त निर्णय की प्रति समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- ✓ 2. कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ.प्र.।

आज्ञा से,  
09/01/2013  
(श्रीप्रकाश सिंह)  
विशेष सचिव।